

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

ई-मेल:-ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

क्रमांक: एफ. 14( )2019/बारां रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं./1851

दिनांक 10/7/24

उप वन संरक्षक,  
बारां

विषय:-चोराखेड़ी से नयागांव वाया महेशपुरा सड़क निर्माण के वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव। (प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/34657/2022)  
संदर्भ:-संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 27.06.24

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा उक्त प्रस्ताव में दिनांक 03.05.2024 को निरस्तीकरण की अनुशंषा की गई है। जबकि प्रस्ताव में पूर्व में तत्कालीन उप वन संरक्षक द्वारा अभिशंषा की गयी है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आलोच्य प्रकरण में निरस्तीकरण के आधार स्पष्ट करें एवं नवीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं संशोधित अभिशंषा पत्र ऑनलाईन पार्ट II में प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 27.06.2024 (प्रति संलग्न) में आलोच्य प्रकरण में वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980 के उलंघन की स्थिति भी स्पष्ट करते हुए No Violation Report प्रस्ताव के माध्यम से कार्यालय को प्रेषित करें।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीया,

(शिखा मेहरा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14( )2019/बारां रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं./1852-53  
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक 10/7/24

1. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड शाहबाद, बारां।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा  
निरीक्षण रिपोर्ट

श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल ऑफिसर एफ. सी.ए. राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 1363 दिनांक 29.05.2024 की बिन्दु संख्या 03 में प्रस्तावित सडक चोराखेडी से नयागांव वाया महेशपुरा सडक का मौका निरीक्षण दिनांक 27.06.2024 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उप वन संरक्षक बारां, यूजर ऐजेन्सी के साथ किया गया।

देवरी से चोराखेडी सडक से लगभग नदी से पहले तक पूर्व से ही आने जाने का मुरड एवं खंरजा युक्त सडक मार्ग बना हुआ है। उक्त सडक सघन वन क्षेत्र से नहीं गुजरती है, प्रस्तावित सम्पर्क सडक स्थल पर किसी प्रकार की पेड़ों को क्षति नहीं होगी साथ ही उक्त सम्पर्क सडक का कोई डामरीकृत वैकल्पिक मार्ग नहीं है। अधोहस्ताक्षरकर्ता उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक 5485 दिनांक 03.05.2024 में की गई निरस्तीकरण की अनुशंसा से सहमत नहीं है।

अतः उक्त सडक निर्माण की अभिशंषा की जाती है। परन्तु पूर्व में वन क्षेत्र में बनी हुई मुरड/खंरजा सडक मार्ग के संबंध में Violation Report उप वन संरक्षक से प्राप्त किया जाना उचित होगा।

*Fail*

(राम करण खैरवा)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
कोटा

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है-

1. श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल ऑफिसर एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर।
2. उप वन संरक्षक बारां।

*Fail*

(राम करण खैरवा)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
कोटा